भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 833

दिनांक 23 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल

833. डॉ. रानी श्रीकुमार:
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और भंडारण संरचनाओं के मूल्यांकन में जन भागीदारी को सक्षम करने के लिए जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 पोर्टल पर नागरिकों में फीडबैक प्राप्त किए जाने की समय-सीमा बढ़ा दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जेएमजेबी 2.0 पहल के अंतर्गत तमिलनाडु में जिला-वार सृजित की गई जल संरक्षण परिसंपत्तियों की संख्या कितनी है और नागरिकों से प्राप्त हुए फीडबैक का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु के सूखा-प्रवण और जल-संकटग्रस्त जिलों में निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं की प्रभावशीलता, कार्यक्षमता और निरंतरता का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जेएसजेबी पहल के अंतर्गत तमिलनाडु में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने, भू-जल पुनर्भरण में सुधार करने, पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने और जल संरक्षण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): जी, हाँ। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जेएसजेबी 2.0 पोर्टल पर नागरिक प्रतिक्रिया के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। यह नागरिक प्रतिक्रिया पहल दिनांक 26.01.2026 को आरंभ की गई थी। यह देश भर के नागरिकों और हितधारकों को जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) 2.0 पहल के तहत रिपोर्ट किए गए जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और भंडारण कार्यों पर 31 जुलाई 2026 तक अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। प्रतिक्रिया साझा करने के लिए निम्नलिखित पोर्टल है: https://jsjb.mowr.gov.in/DashboardJsjb.aspx

(ख): जेएसजेबी 2.0 पहल के तहत पोर्टल पर रिपोर्ट किए गए कृत्रिम भूजल पुनर्भरण और भंडारण कार्यों की जिले-वार प्रगति **अनुलग्नक** में संलग्न है।

दिनांक 20.07.2026 तक, जेएसजेबी 2.0 पोर्टल पर तमिलनाडु राज्य के लिए कोई नागरिक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

(ग): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से तमिलनाडु सहित देश के सक्रिय भूजल संसाधनों का प्रति वर्ष आकलन किया जाता है। वर्ष 2025 के आकलन के अनुसार, राज्य में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 22.61 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) और वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधन 20.46 बीसीएम आँका गया है। सभी उपयोगों के लिए कुल वार्षिक भूजल निष्कर्षण 15.04 बीसीएम आँका गया है। भूजल निष्कर्षण का स्तर 73.50% है, यह वार्षिक निष्कर्षण योग्य भूजल संसाधनों की तुलना में सभी उपयोगों (सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू) के लिए वार्षिक भूजल निष्कर्षण का एक मापक है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025 के आकलन के दौरान तमिलनाडु में टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाले पुनर्भरण का आकलन 2.94 बीसीएम किया गया है, जबकि वर्ष 2024 के आकलन में यह 2.70 बीसीएम था, जो 0.24 बीसीएम की वृद्धि को दर्शाता है। यह राज्य में लागू किए गए जल संरक्षण और पुनर्भरण उपायों के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करता है।

(घ): जल राज्य का विषय है। इसके संरक्षण सहित जल संसाधनों से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, योजना, वित्तपोषण और निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे उपायों और प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है।

जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल दिनांक 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में आरंभ की गई थी। जून 2025 में, जेएसजेबी 2.0 अभियान शुरू किया गया था। जेएसजेबी 2.0 का कार्यान्वयन 1 जून 2025 को शुरू हुआ और 31 मई 2026 को इसका समापन हुआ।

जल संचय जन भागीदारी: कैच द रेन (जेएसजेबी: सीटीआर) - 2026 कार्यक्रम की शुरुआत दिनांक 1 जून 2026 को किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) पहल के दायरे को बढ़ाते हुए इसे 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया गया । यह पहल जल संरक्षण कार्यों की पहचान, निष्पादन और रखरखाव में स्थानीय समुदायों को शामिल कर जन भागीदारी पर केंद्रित है।

जेएसजेबी पहल कम लागत और अधिकतम प्रभावी मोड में कम लागत वाली वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक कार्रवाई और एकजुटता को तेज करने पर केंद्रित है। यह पहल वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संबंधी समस्याओं के लिए स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप समाधान प्रदान करने हेतु स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसी कम लागत वाली संरचनाओं के निर्माण के लिए सामुदायिक निधि, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कोष और अन्य का लाभ उठाती है। इसका उद्देश्य संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण का पालन करते हुए, सामूहिक प्रयासों के

माध्यम से जल की हर बूंद का संरक्षण सुनिश्चित करना है । सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देकर, यह पहल जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण के लिए माइक्रो लेवल पर लागत-प्रभावी, स्थानीय समाधान विकसित करना चाहती है। जेएसजेबी पहल 3सी सिद्धांत–कम्युनिटी (समुदाय), सीएसआर और कॉस्ट (लागत) द्वारा निर्देशित है, जो प्रभावी कन्वर्जेंस और अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करती है। सरकार द्वारा इसकी व्यापक पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों और स्थानीय अधिकारियों के साथ साझेदारी में जेएसजेबी पहल को बढ़ावा दिया जाता है। इस पहल का उद्देश्य व्यापक समुदाय के प्रभावी सहभागिता के लिए गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों, नागरिक समाजों और शिक्षण संस्थानों जैसे हितधारकों के साथ साझेदारी कार्य करना है। इस अभियान की प्रगति की मॉनिटरिंग ऑनलाइन पोर्टल - जेएसजेबी: सीटीआर (https://jsjb.mowr.gov.in) के माध्यम से की जाती है।

राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा विशेष रूप से जल की कमी वाले क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणालियों के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा एक व्यापक, बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है। इस रणनीति के एक हिस्से के रूप में, तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने और जल संरक्षण संरचनाओं का सत्यापन करने के लिए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों को तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर इस पहल के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा राज्य नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

तकनीकी योजना का समर्थन करने और जल संरक्षण तथा भूजल पुनर्भरण कार्यकलापों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी जिलों के साथ ग्राम-स्तरीय जीआईएस आधारित व्यवहार्यता मानचित्र साझा किए गए हैं।

इससे पूर्व, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश के जल की कमी वाले 256 जिलों में एक समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) आरंभ किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2021 में "कैच द रेन: वेयर इट फाल्स, व्हेन इट फाल्स" संदेश के साथ इस अभियान को 'जल शक्ति अभियान: कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) के रूप में लॉन्च किया गया। तब से, जेएसए: सीटीआर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया है, जो स्थानीय कार्रवाई और संस्थागत कन्वर्जेंस के माध्यम से जल सुरक्षा के प्रति भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। जेएसए: सीटीआर अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए इसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था और वर्ष 2023 से इसके प्रत्येक संस्करण में एक लक्षित फोकस को शामिल किया गया है। "पेयजल के लिए स्रोत की स्थिरता" थीम के साथ जेएसए: सीटीआर 2023 में जल जीवन मिशन द्वारा चिह्नित 150 विशेष फोकस वाले जिलों को प्राथमिकता दी गई। "नारी शक्ति से जल शक्ति" थीम पर आधारित जेएसए: सीटीआर 2024 अभियान पूरे देश में चलाया गया, जिसमें केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा चिह्नित 151 जिलों पर विशेष बल दिया गया। जेएसए: सीटीआर 2025 को "जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर" थीम के साथ शुरू किया गया था, जिसमें

जमीनी स्तर पर व्यापक जुड़ाव, अंतर-क्षेत्रीय कन्वर्जेंस और नवीन वित्तपोषण तंत्र पर जोर दिया गया, साथ ही इसमें सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चिह्नित 148 जिलों पर विशेष बल दिया गया था।

विभिन्न क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के कई नए मॉडल देखे गए हैं, जो स्थानीय रूप से अपनाए गए और समुदाय-संचालित समाधानों की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

i. "कर्मभूमि से मातृभूमि" मॉडल गुजरात में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपने मूल राज्यों; जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में पुनर्भरण परियोजनाओं के लिए उनके योगदान को दर्शाता है। इस स्वैच्छिक और भावनात्मक निवेश ने स्थायी भूजल पुनर्भरण के लिए अंतर-राज्यीय समर्थन को सक्षम बनाया है।

ii. गुजरात में गिर गंगा ट्रस्ट मॉडल जल संरक्षण के लिए एक परोपकारी और समुदाय-आधारित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। स्थानीय समुदायों द्वारा पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए श्रमदान और संसाधनों दोनों के माध्यम से सक्रिय रूप से योगदान दिया गया है, जिससे स्वामित्व और दीर्घकालिक स्थिरता की एक मजबूत भावना को बढ़ावा मिला है। यह मॉडल प्रदर्शित करता है कि नागरिक समाज की साझेदारी भूजल पुनर्भरण प्रयासों को व्यापक बनाने में किस प्रकार एक परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है।

iii. महाराष्ट्र में, 'जल तारा' मॉडल के तहत किसान कृषि भूमि पर व्यवस्थित रूप से 4 फीट × 4 फीट × 6 फीट माप वाले मानकीकृत पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण करते हैं। यह कम-तकनीक वाला लेकिन प्रभावशाली कार्यकलाप जल के रिसाव को काफी बढ़ाता है और उथले जलभृतों के पुनर्भरण में सहायता करता है, जिससे फसल उत्पादकता और भूजल स्थिरता दोनों लाभान्वित होते हैं।

iv. छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का 5% मॉडल यह दर्शाता है कि कृषि योग्य भूमि के 5% हिस्से पर निर्माण किए गए सीढ़ीदार पुनर्भरण गड्ढे, स्थानीय जलभृत पुनर्भरण में काफी सुधार कर सकते हैं। यह मॉडल जल संरक्षण को सीधे भूमि-उपयोग योजना और कृषि पद्धतियों के साथ एकीकृत करता है, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की नमी बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है और भूजल स्तर बढ़ता है। प्रत्येक खेत पर, "गड्ढे के अंदर गड्ढा" डिजाइन में एक उथला सीढ़ीदार पुनर्भरण गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें किसान स्वेच्छा से अपनी कृषि योग्य भूमि का 5% योगदान देते हैं।

v. गुजरात के बनासकांठा में, एक बड़े पैमाने की पहल ने शुष्क क्षेत्रों में कम लागत वाली कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। यह कार्यकलाप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि का लाभ उठाने और किसान सहकारी समितियों की सक्रिय भागीदारी से संभव हुआ है। यह मॉडल प्रदर्शित करता है कि कैसे सार्वजनिक-निजी सहयोग क्षेत्रीय जल संकट को प्रभावी ढंग से दूर कर सकता है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक मापनीय और अनुकरणीय समाधान पेश करता है।

पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) समुदायों को एकजुट करने, स्थानीय स्तर पर योजना के कार्यान्वयन और जल संरक्षण कार्यों के सहभागी कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग को सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), युवा, छात्र और स्थानीय सामुदायिक समूह जागरूकता के सृजन, व्यवहारगत परिवर्तन हेतु संचार और सामाजिक एकजुटता में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे जमीनी स्तर पर भागीदारी और स्वामित्व की भावना सुदृढ़ होती है। जमीनी स्तर पर जागरूकता, तकनीकी समझ और सहभागी कार्यान्वयन को बढ़ाने के लिए आईईसी गतिविधियों, सामुदायिक बैठकों और क्षेत्रीय संवाद का आयोजन किया जाता है।

जेएसजेबी 2.0 पोर्टल पर नागरिक प्रतिक्रिया प्रणाली नागरिकों को रिपोर्ट किए गए कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाकर जन भागीदारी को और मजबूत करने का प्रयास करती है। अपने मूल्यवान सुझावों के माध्यम से, नागरिक रखरखाव की आवश्यकताओं की पहचान करने, संरचनाओं की कार्यक्षमता की मॉनिटरिंग करने और उनकी दीर्घकालिक प्रभावशीलता में सुधार करने में अपना योगदान दे सकते हैं।

इस पहल के माध्यम से, मंत्रालय का उद्देश्य जल संरक्षण संरचनाओं पर सामुदायिक स्वामित्व को मजबूत करना और स्थायी जल प्रबंधन तथा जल सुरक्षा की दिशा में चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलन को और आगे बढ़ाना है।

अनुलग्नक

"जल संचय जन भागीदारी 2.0 पोर्टल" के संबंध में दिनांक 23.07.2026 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 833 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

तमिलनाडु में जेएसजेबी 2.0 के तहत जिला-वार प्रगति		
क्र. सं.	**जिला**	**पूर्ण कार्य**
1.	अरियालुर	2928
2.	चेंगलपट्टू	1323
3.	कोयंबटूर	30036
4.	कुड्डालोर	2548
5.	धर्मपुरी	4746
6.	डिंडीगुल	5858
7.	इरोड	5297
8.	कल्लाकुरिची	996
9.	कांचीपुरम	3436
10.	कन्नियाकुमारी	4848
11.	करूर	2723
12.	कृष्णागिरी	2102
13.	मदुरै	1427
14.	माइलाडुत्रयी	384
15.	नागपट्टिनम	5149
16.	नमक्कल	45864
17.	पेरम्बलूर	1653
18.	पुदुक्कोट्टई	997
19.	रामनाथपुरम	1245
20.	रानीपेट	727
21.	सेलम	19394
22.	शिवगंगा	1037
23.	तेनकासी	506
24.	तंजावुर	4515
25.	नीलगिरी	374
26.	तेनी	1128
27.	तिरुवल्लुर	4618
28.	थिरुवरुर	12164
29.	थूथुकुडी	918
30.	तिरुचिरापल्ली	5031
31.	तिरुनेलवेली	2756
32.	तिरुपथुर	2792
33.	तिरुपूर	1661
34.	तिरुवन्नामलाई	4213
35.	वेल्लोर	13018
36.	विलुप्पुरम	2513
37.	विरुधुनगर	4659
कुल		**205584**
